

10.12.2019

अभियुक्त रामधनी की ओर से मु0अ0सं0-949/09 अन्तर्गत [धारा-10/11](#) गुण्डा अधिनियम थाना माखी जनपद उन्नाव में जमानत हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त वारण्ट पर गिरफ्तार होकर जेल में निरुद्ध है। मामले के तथ्यों व परिस्थितियों के प्रकाश में आधार जमानत पर्याप्त है। अभियुक्त द्वारा 20,000/-रूपये की दो जमानतें व उतनी ही धनराशि का निजी बन्धपत्र दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाये।

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,

कोर्ट सं0-3, उन्नाव।